सल सरवक
तारीख दायरा
किस्म मुकदमा
रेस्पोन्डेण्ट/अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 70/अपील/2022 (GCMS No. 2022/160)	17.08.2022	23.12.2024

बउनवान

देवा पुत्र खाना जाति भील,
निवासी ग्राम पराणा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

— अपीलांट

बनाम

1. भैरू पुत्र देवा जाति भील निवासी मोतीपुरा, तहसील बून्दी
2. फोरू पुत्र देवा जाति भील निवासी मोतीपुरा, तहसील बून्दी
3. प्रहलाद पुत्र देवा जाति भील निवासी मोतीपुरा, तहसील बून्दी
4. बच्ची पुत्री देवा जाति भील निवासी मोतीपुरा, तहसील बून्दी
5. पांचू पुत्र देवा जाति भील निवासी मोतीपुरा, तहसील बून्दी
   मृतक जरिये कायम मुकामान —

5/1 उदी पुत्री पांचू जाति भील निवासी मोतीपुरा, तहसील बून्दी
5/2 भवानी पत्नी पांचू जाति भील निवासी मोतीपुरा, तहसील बून्दी
5/3 लक्ष्मीनारायण पुत्र पांचू जाति भील नि0 मोतीपुरा, तहसील बून्दी

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा
7. श्रीमती पानाबाई पत्नी रतनलाल जाति भील निवासी छतरी खेडा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा (राज0)

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित—

अपीलांट की ओर से श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1 लगायत 5/3 की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट
रेस्पो. सं. 6 की ओर से पेरोकार सरकार।
रेस्पो. सं. 7 की ओर से श्री श्रीनाथ किशोर गुप्ता, एडवोकेट।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर, बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 250 दिनांक 06.07.2012 ग्राम पराना से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण गैर खातेदार देवा वल्द खाना कौम भील के फोत हो जाने पर वारिस हगामी बेवा देवा के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 70/2022 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2022/160 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

प्रार्थना पत्र प्रार्थिया पानाबाई पत्नी रतनलाल जाति भील नि0 छतरीखेडा तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाडा द्वारा दिनांक 18.10.22 को वास्ते अपील में बनाये जाने पक्षकार पेश किया गया, जिस पर वकील अपीलांट द्वारा No Objection कर दिये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थियां पानाबाई पत्नी रतनलाल भील को उक्त अपील में रेस्पो.सं.7 के रूप में पक्षकार बनाया गया। अपीलांट की ओर से दिनांक 03.01.2023 को संशोधित शीर्षक अपील पेश की गई। अभिभाषक रेस्पो.सं.7 द्वारा दिनांक 24.01.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम पेश किया जाकर अपील अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पो.सं. 7 की ओर से दिनांक 10.07.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनवाई कर निर्णय पारित किये जाने पेश किया गया। जिसका वकील अपीलांट द्वारा जवाब पेश नहीं किया जाकर बहस हेतु अवसर चाहा गया। रेस्पो.सं. 7 के उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना जाकर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम की बहस अपील की गुणावगुण पर अंतिम बहस के साथ ही सुनी जाकर पहले प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णीत किये जाने का आदेश दिया गया।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट देवा को पुराने कब्जे काश्त के आधार पर ग्राम पराना में खसरा संख्या 239 रकबा 15 बीघा भूमि दिनांक 28.11.1975 को आवंटित हुई थी एवं मौके पर कब्जा रिपोर्ट भी बनायी गई थी तथा आवंटी देवा के नाम जमाबंदी में गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी। अपीलांट देवा आवंटन के बाद से उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त होने से वह नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी था, किन्तु

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर, बून्दी

अपीलांट बिना पढा–लिखा एवं अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है जो सरकारी दस्तावेजात के संबंध में समझता नहीं है। दिनांक 20.05.2022 को कुछ लोग अपीलांट की भूमि पर आये एवं बताया कि वह उक्त भूमि को पाना बाई पत्नी रतनलाल से क्रय करना चाहते है क्योंकि यह भूमि पाना बाई के नाम खाते में दर्ज है। तब अपीलांट ने तुरन्त अधिवक्ता से सम्पर्क किया। इसके बाद पता चला कि अपीलांट की जमीन पानाबाई के नाम से जमाबंदी में दर्ज है। जिस पर हगामी पत्नी देवा जाति भील निवासी मोतीपुरा द्वारा पानाबाई को बेचान किये जाने से जरिये इन्तकाल सं.300 दिनांक 03.03.2016 से नामान्तरकरण हगामी के स्थान पर पानाबाई के नाम से खोला गया है। इस संबंध में ओर तहकीकात करने पर ज्ञात हुआ कि जरिये इन्तकाल संख्या 193 दिनांक 05.02.2016 से भूमि का नामान्तरकरण हगामी बेवा देवा को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। फिर इसकी भी तहकीकात की गई कि हगामी उक्त भूमि पर खातेदार किस प्रकार बनी, तो इसकी जानकारी मिली कि हगामी एवं कालू पुत्र राजू भील द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके अपीलांट देवा को मृत बताकर मृत्यु की दिनांक 28.08.1982 अंकित कर मृत्यु से 30 वर्ष बाद ग्राम पंचायत डाबी से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जरिये इन्तकाल सं. 250 दिनांक 06.07.2012 द्वारा हगामी को अपीलांट का एकमात्र वारिस बताकर अपीलांट के खाते की भूमि खसरा सं.544/239 रकबा 15 बीघा भूमि पर फौती इन्तकाल हगामी ने अपने नाम से खुलवा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी गैर खातेदार देवा आ. खाना की मृत्यु की जांच व भूमि पर कब्जे संबंधित जांच किये बिना देवा को मृत बताकर खोला गया उक्त नामान्तरकरण जो पूरी तरह से अवैध है। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि का गैर खातेदार अपीलांट देवा आज भी जीवित है तथा भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट देवा द्वारा उक्त श्रीमती हगामी के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि श्रीमती हगामी मोतीपुरा निवासी है जिसके पति का नाम भी देवा है जो शंकर का पुत्र है जिसके खाता संख्या 23 मेघारावत की झौपडियां पटवार मण्डल नीम का खेडा, भू–अभिलेख वृत्त गुढानाथावतान तहसील बून्दी में स्थित आराजी खसरा सं. 427/564 की 7 बीघा भूमि थी जो उक्त देवा पुत्र शंकर की दिनांक 03.08.2005 को मृत्यु होने पर उसकी पत्नी हगामी व पुत्र भैरू, पॉचू, महावीर, फोरू, प्रहलाद तथा बच्ची पुत्री देवा के नाम से जरिये इन्तकाल सं. 334 दिनांक 09.06.2006 से नामान्तरकरण दर्ज रेकार्ड है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त हगामी देवा पुत्र शंकर निवासी मोतीपुरा की पत्नी है जिसका अपीलांट देवा पुत्र खाना निवासी पराना से कोई संबंध नहीं है। हगामी के पास ग्राम पराना का कोई भी दस्तावेज नहीं है। हगामी कभी भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त नहीं रही है, बल्कि भूमि आज भी अपीलांट के कब्जे में ही है। हगामी द्वारा आपराधिक कृत्य करते हुये अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया जाकर मिलीभगत से अपीलांट की भूमि पर अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा लिया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि मोतीपुरा निवासी शंकर के पुत्र देवा की पत्नी हगामी बाई एवं एक पुत्र पांचू का देहान्त हो चुका है। उक्त देवा पुत्र शंकर के फोती इंतकाल अनुसार खसरा सं. 427/564 वाकेग्राम मोतीपुरा की जमाबंदी में दर्ज उसकी पत्नी हगामी के वारिसान को अपील में रेस्पोडेंटस पक्षकार बनाया गया है। यहा उल्लेखनीय है कि मृतक हगामी के वारिसान को ग्राम मोतीपुरा के पते पर जारी सम्मन उक्त पते पर ही तामील होकर प्राप्त हुये है। इस प्रकार जीवित अपीलांट देवा आ. खाना को मृत बताकर उसकी जमीन हडपने के लिए मोतीपुरा निवासी देवा आ.शंकर की पत्नी हगामी द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत करके अपने नाम फोती इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त नामान्तरकरण सं. 250 दिनांक 06.07.2012 खोलते समय गैर खातेदार देवा के बारे में एवं भूमि पर कब्जे बाबत कोई जांच नहीं की गई और न ही मौका स्थिति का अवलोकन किया गया है, ऐसे में अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 250 दिनांक 06.07.2012 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर उक्त आराजी वापस अपीलांट देवा आ.खाना के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किये जावे। प्रथम बार दिनांक 20.05.2022 को अन्य व्यक्तियों द्वारा अपीलांट के खेत पर आने पर उक्त नामान्तरकरण सं.250 दिनांक 06.07.2012 के बारे में बताने पर तथा इसके बाद नामान्तरकरण की नकल दिनांक 06.07.2022 को प्राप्त होने पर अपीलांट को विवादित नामान्तकरण की पूरी जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी होते ही दिनांक 16.08.2022 को यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है फिर भी यदि अपील प्रस्तुत करने में देरी मानी जावे तो प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मियाद कन्डोन किये जाने हेतु अपील के संलग्न प्रस्तुत किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा 2017 आरआरडी पेज 382, 2009 आरआरडी पेज 195, 2022(1) आरआरटी पेज 102, 2009 आरआरडी पेज 397 की नजीरें प्रस्तुत करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 5/3 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण सं.250 दिनांक 06.07.2012 की जानकारी नकले प्राप्त होने पर दिनांक 06.07.2022 को होने पर अपील प्रस्तुत किया जाना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। जबकि अपीलांट की ओर से पेश शिकायत पर एक एफआईआर नं. 83/2013 दिनांक 01.03.2013 को कोतवाली बून्दी में दर्ज हुई थी। उक्त परिवाद में अपीलांट द्वारा आवंटी देवा आ. खाना भील को जीवित बताते हुये हंगामी के नाम इन्तकाल खुलवाने को गलत बताया था, यह अपीलांट द्वारा स्वीकृत तथ्य है जो एफआईआर की नकल से प्रमाणित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि

अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 2013 में ही हो चुकी थी। इसके बावजूद उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील नियमों में निर्धारित समयसीमा में पेश नहीं की गई, अपितु 9 साल बाद अपील पेश की गई है। जिससे यह अपील मियाद बाहर होने से बिना मेरिट पर सुने कानूनन मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अभिभाषक रेस्पो. द्वारा आगे गुणावगुण पर बहस करते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि भूमि खसरा संख्या 239 रकबा 15 बीघा वाकेग्राम पराना देवा आ. खाना भील निवासी ग्राम पराना को आवंटित हुई थी एवं राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी मे दर्ज हुई। उक्त देवा आ. खाना भील की मृत्यु हो चुकी है। देवा की मृत्यु के बाद हगामी समाज के रीति रिवाज के अनुसार ग्राम मेघारावत की झौपडिया में देवा आ. शंकर के नाते चली गई थी, जहां उसके 5 पुत्र एवं 1 पुत्री हुई। आवंटी देवा की मृत्यु हो जाने से अपील विषयक आराजी पर फोती नामान्तरकरण उसकी पत्नी हगामी के नाम खोला गया, जो उचित है।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 5/3 ने बहस में आगे तर्क किया कि अपीलांट अपील विषयक उक्त भूमि का आवंटी देवा आ. खाना भील निवासी पराना नहीं होकर देवीलाल आ. खाना भील निवासी डाबी है जिसकी पत्नी का नाम कैलाशी है। इस संबंध में पंचायत मतदाता सूची 2009 ग्राम डाबी एवं जन आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली पर पेश की हुई है। ग्राम डाबी की जमाबंदी संवत् 2076 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 1522/615 रकबा 1.0036 हैक्टेयर भूमि देवीलाल आ. खाना की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। आवंटी देवा की दिनांक 28.08.1982 को ही मृत्यु हो चुकी है। आवंटी देवा अनपढ था और अंगूठा लगाता था जबकि अपीलांट हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार देवा आ. खाना एवं देवीलाल आ. खाना दो अलग अलग व्यक्ति है। अपीलांट देवीलाल का उक्त अपील विषयक आराजी से कोई लेना देना नहीं है। ग्राम पराना की आराजी खसरा संख्या 239 रकबा 15 बीघा भूमि दिनांक 28.11.1975 को अपीलांट को आवंटित नहीं हुई थी और न ही उक्त भूमि पर कभी अपीलांट का कब्जा रहा है। इसके बावजूद अपीलांट देवीलाल आ. खाना द्वारा उक्त आराजी के गैर खातेदार देवा आ.खाना के मिलते–झुलते नाम की समानता का नाजायज फायन्दा उठाने के लिए अपने आपको देवीलाल से देवा बना लिया और इसी नाम से अपने दस्तावेजों को बदलवा लिया, लेकिन बाद में प्रकरण की पुलिस द्वारा तफ्तीश में उसके असल देवा नहीं होना सामने आने के बाद परिवादी स्वयं के झूठा साबित होने पर वह मामले से पीछे हट गया तथा फरियादी देवा द्वारा स्वयं शपथ पत्र पेश कर स्वीकार किया गया कि उक्त खसरा संख्या 544/239 पर फरियादी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। फरियादी स्वयं झूठा है एवं वह, वह व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के नाम जमीन अलॉटमेन्ट हुई है। इसके बाद अपीलांट द्वारा दिनांक 15.06.2021 को उपखण्ड अधिकारी तालेडा के न्यायालय में वाद बाबत अधिकार घोषणा,

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का पेश किया था, जो बाद में दिनांक 23.01.2023 को स्वयं वादी द्वारा ही नोटप्रेस में खारिज करवा लिया गया। इस प्रकार अपीलांट एक झूठा व्यक्ति है जिसने देवा आ. खाना की जमीन हडपने की नियत से देवीलाल से देवा बनकर एक बार फिर पुराने तथ्यों को आधार बनाकर उक्त नामान्तरकरणों के विरूद्ध यहां अपील पेश की गई है जो न्यायालय को गुमराह करते हुये तथा वास्तविक तथ्यों का छिपाकर पेश किये जाने से चलने योग्य नहीं है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 5/3 द्वारा अपने कथन के समर्थन में एआईआर 2012 एससी पेज 1506, आरआरडी 2012 पेज 641, आरआरडी 2008 पेज 814 की नजीरें पेश करते हुये अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 7 ने बहस के दोरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि रेस्पो.सं. 7 पानाबाई पत्नी रतनलाल भील निवासी छतरी का खेडा द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 544/239 रकबा 15 बीघा वाकेग्राम पराना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.02.2016 से क्रय की गयी है तथा वह उक्त भूमि पर सदभावी क्रेता है जो जर्ये नामा.सं. 300 दिनांक 03.03.2016 से अपने खाते की उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। अपीलांट का अपील विषयक आराजी से कोई सरोकार नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को जब तक सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं किया जाता वहां तक नामान्तरकरण संख्या 300 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 7 द्वारा आरआरडी 2003 पेज 276, आरआरडी 1996 पेज 587, आरआरडी 2006 पेज 192, आरआरडी 2011 पज 749 की नजीरे पेश करते हुऐ अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली सं. 1204 पर दिनांक 24.11.1975 को सिवायचक भूमि लगानी खसरा सं. 239 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम पराना का आवंटन देवा उम्र 30 साल आ. खाना कौम भील निवासी ग्राम पराना को किया गया। आंवटी को कब्जा संभलाया जाकर जरिये नामान्तकरण सं. 26 दिनांक 07.02.1976 से आवंटी देवा के पक्ष में गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड किया गया है। ग्राम पंचायत डाबी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 12.01.2012 के अनुसार देवा भील पुत्र खाना निवासी ग्राम डाबी की मृत्यु दिनांक 28.08.1982 को होना अंकित है। हगामी बाई पत्नी स्व.देवा भील निवासी पराना (डाबी) हाल मोतीपुरा द्वारा दिनांक 09.05.2012 को तहसीलदार बून्दी को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर मृतक देवा के वारिसान गोदपुत्र कालू एवं हगामी बाई के पक्ष मे फोती इंतकाल खुलवाने बाबत निवेदन किया गया। जिसके संबंध में देवा वल्द खाना भील की गैर खातेदारी की आराजी पर विरासतन नामान्तरकरण संख्या 250 दिनांक 06.07.2012 हगामी बेवा देवा के पक्ष में तस्दीक किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय द्वारा अपील का सर्वप्रथम परीक्षण मियाद के बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल दिनांक 06.07.2022 को प्राप्त होने पर उसको विवादित नामान्तकरण की जानकारी होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। अपीलांट द्वारा जानकारी होने पर यह अपील दिनांक 16.08.2022 को इस न्यायालय में पेश की गई। पत्रावली पर उपलब्ध नकल एफ.आई.आर. नं. 83/2013 दिनांक 01.03.13 के अवलोकन से प्रकट है कि परिवादी देवा पुत्र खाना द्वारा जिला कलक्टर बून्दी को जन सुनवाई/रात्रि चौपाल में एक परिवाद बाबत परिवादी देवा आ. खाना भील को मृत बताकर हगामी द्वारा अपने नाम गलत तरीके से इन्तकाल खुलवा लिये जाने को निरस्त करने प्रस्तुत किया गया था, जो जर्ये पत्र दिनांक 05.12.2012 से पुलिस अधीक्षक, बून्दी को वास्ते जांच भिजवाया गया। पुलिस अधीक्षक बून्दी के माध्यम से उक्त परिवाद प्राप्त होने पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली बून्दी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। इस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, बून्दी द्वारा किये गये अनुसंधान में पाया गया कि फरियादी स्वयं झूठा है व नाम का सादृश्य होने से लालच में उसके द्वारा शिकायत की गई है। फरियादी द्वारा 10/– रूपये के स्टाम्प पर एक अपना लिखा शपथ पत्र पेश किया, जिसमे लिखा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.83/13 में जो तथ्य मेरे द्वारा दिये गये है वो समस्त तथ्य अन्य व्यक्तियों के बहकावे में आकर दिये है अर्थात वे समस्त तथ्य गलत है। खसरा सं. 544/239 स्थित ग्राम पराणा में जो इन्तकाल हगामी बेवा देवा भील के नाम से खोला गया है उक्त इन्तकाल से मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और न ही उक्त भूमि पर मेरा स्वामित्व या कब्जा है और न ही मेरा या मेरे उत्तराधिकारियों का भविष्य में इस भूमि पर कोई अधिकार रहेगा। इस प्रकार सम्पूर्ण अनुसंधान से मामला अदम वकू (झूठा) पाया जाने पर एफआर नं.65 दिनांक 27.06.16 को अदम वकू (झूठा) में कता कर एफआर वास्ते स्वीकृति सीजेएम, बून्दी को पेश की गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बून्दी के निर्णय दिनांक 03.01.2018 के अवलोकन से प्रकट है कि परिवादी देवा दिनांक 25.11.16 से निरन्तर अनुपस्थित है। उसकी ओर से प्रोटेस्ट प्रा0पत्र भी पेश नहीं किया गया। अनुसंधान पत्रावली अनुसार मामला अदम वकु (झूठा) पाये जाने से अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया गया। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकण की जानकारी उक्त एफआईआर अनुसार दिनांक 01.03.2013 को होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। जिससे अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल दिनांक 06.07.2022 को प्राप्त होने पर अपीलांट को जानकारी होने बाबत प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्य सत्य प्रमाणित नहीं होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी

जिला कलक्टर, बून्दी

पत्रावली पर उपलब्ध नकल वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा वाद संख्या 45/दावा/2021 देवा बनाम हगामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 92–ए,188 आर.टी.एक्ट के अवलोकन से प्रकट है कि वादी देवा द्वारा एक वाद बाबत अधिकार घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का दिनांक 16.06.2021 को पेश किया जाकर कृषि भूमि खसरा सं.239 रकबा 15 बीघा वाके ग्राम पराना पर खातेदार घोषित करने तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया गया। वादी देवा द्वारा उक्त वाद दिनांक 23.01.23 को स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में आगे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुये वाद को इसी स्टेज पर नोटप्रेस के आधार पर खारिज करवा लिया गया। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल दिनांक 06.07.2022 को प्राप्त होने पर अपीलांट को जानकारी होने का प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्य उक्त वाद पत्र से भी असत्य प्रमाणित होता है। इससे प्रकट है कि अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी एफआईआर नं. 83/2013 के दौरान वर्ष 2013 को चुकी थी तथा राजस्व वाद संख्या 45/दावा/2021 दायर करते समय भी अपीलांट को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी थी। उक्त वाद/परिवाद के दौरान अपीलांट द्वारा शपथ पत्र पेश किये जाकर अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर चुका है, इसके बावजूद अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में तथ्यों को छिपाते हुये पुनः उन्हीं गलत तथ्यों के आधार पर हस्तगत अपील पेश की गई है। जिससे जाहिर है कि अपीलांट हस्तगत अपील में क्लीन हेन्ड से नहीं आया है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट को नामान्तरकरण संख्या 250 दिनांक 06.07.12 की जानकारी दिनांक 06.07.22 से पूर्व दिनांक 01.03.13 को हो जाना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। इसके बाजवूद अपीलांट द्वारा दिनांक 06.07.22 को जानकारी होने का तथ्य प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है, जो सत्य नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में जानकारी होने के बाद भी निर्धारित समयसीमा में अपील पेश नहीं करने कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, जिससे हस्तगत अपील में विलम्ब को कन्डोन किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांट मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी